

04.01.2024:—पत्रावली पेशी में आई। वकील वादी उपस्थित नहीं आए। वादी एवं वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

Web Copy - Not Official

  
सहसंका फिलॉसफर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़